राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.6(10)वित्त(नियम)/2021 पार्ट जयपुर, दिनांक : 31-12-2021

आदेश

विषयः **Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के अन्तर्गत राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारियों को अनिवार्य रूप से योजना में सम्मिलित नहीं करने बाबत।**

संदर्भः **वित्त (नियम) विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 27–10–2021 एवं 30–11–2021.**

वित्त (बीमा) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.5(5)वित्त/बीमा/2020 दिनांक 9–4–2021 द्वारा कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) लागू करते हुए इसमें न्यायिक सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी सम्मिलित किया गया था।

राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2008 में Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के अनुरूप संशोधन नहीं होने से तथा उसमें समय लगने की संभावना को दृष्टिगत रख समसंख्यक आदेश दिनांक 27–10–2021 द्वारा यह शिथिलन दिया गया था कि न्यायिक सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी दिनांक 30–11–2021 तक राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2008 के अनुसार ही चिकित्सा सुविधा एवं चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण प्राप्त कर सकेंगे। तत्पश्चात् समसंख्यक आदेश दिनांक 30–11–2021 से यह अवधि दिनांक 31–12–2021 तक बढ़ाई गई।

रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रमुख शासन सचिव, विधि के माध्यम से माननीय मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों से अवगत कराया गया कि चूंकि द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुमति याचिका संख्या 643/2015 ऑल इण्डिया जजेस एसोसिएशन बनाम यूनियम ऑफ इण्डिया व अन्य के मामले में लम्बित है अतः इस पर निर्णय होने तक राजस्थान राज्य के न्यायिक अधिकारियों / पेंशनभोगियों / परिवार पेंशनभोगियों के लिये RGHS स्कीम को लागू नहीं करने के संबंध में सहमति दी जाये। इस संदर्भ से वित्त विभाग द्वारा न्यायिक सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी दिनांक 30–11–2021 तक राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2008 के अनुसार ही चिकित्सा सुविधा एवं चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण प्राप्त करने की अवधि दिनांक 31–12–2021 तक बढ़ाई गई।

अतः रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र दिनांक 2–12–2021 के क्रम में प्रस्तुत प्रस्ताव, **माननीय मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों** एवं विधि विभाग के प्रस्ताव को दृष्टिगत रख राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2008 में राजस्थान राज्य के सेवारत एवं सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी / पारिवारिक पेंशनर एवं जो भी सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी/ पारिवारिक पेंशनर इन नियमों के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा प्राप्त करते हैं, वह केवल राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2008 के अनुसार ही चिकित्सा सुविधा एवं चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण प्राप्त कर सकेंगे। जिन सेवारत एवं सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी/ पारिवारिक पेंशनर द्वारा आर.जी.एच.एस. के अन्तर्गत पंजीकरण करा लिया गया है एवं उनका आर.जी.एच. एस. कार्ड जारी हो चुका है, उनको जारी आर.जी.एच.एस. कार्ड अग्रिम आदेशों तक प्रभावी नहीं रहेंगे, वे पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2008 के अनुसार चिकित्सा सुविधा प्राप्त करते रहेंगे।

यह व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुधीर कुमार शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप – 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

31/12/21

(एस.जेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(RSR 57 / 2021)